एसजेवीएन लिमिटेड
SJVN Limited
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
A Navratna CPSE
CIN: L40101HP1988GOI008409

SJVN/CS/93/2025 Date: 04/09/2025

NSE Symbol: SJVN-EQ

National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai 400 051, India

SCRIP CODE: 533206

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001, India

SUB: Newspaper advertisement for "Notice of Annual General Meeting, Remote E-voting and Book Closure"

Sir/Madam,

Kindly find attached herewith the copies of the advertisement published on September 03, 2025, in Newspapers for intimation of the forthcoming Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, September 25, 2025.

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

SOUMENDRA DAS

Digitally signed by SOUMENDRA DAS
DN: C=IN, O=Personal, T=7287, Phone=f77c308884a7da7a6b95a41dee8ba306596ab65423166219b5c0013683798328, PostalCode=171009, S=Himachal Pradesh, SERIALNUMBER=b0ac2b06e36a51be06bec20ba87c45c9e47e23efc6af80be69741d46bd519ec2, CN=SOUMENDRA DAS
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.09.04 11:53:04+05'30'
Foxit PDF Editor Version: 13.0.0

(Soumendra Das)
Company Secretary

Encl:
As stated above

Financial Express — 3/09/25

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
नवरत्न सीपीएसई A NAVRATNA CPSE
CIN : L40101HP1988GOI008409

NOTICE OF THE 37th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **37th Annual General Meeting (AGM)** of the Members of SJVN Limited ('Company') will be held on **25th September 2025 at 15:00 HRS through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM) facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to transact the business set out in the Notice convening the AGM.**

The Notice of 37th AGM setting out the business to be transacted at the meeting and the Annual Report of the Company for FY 2024-25 has been sent in electronic mode to Members whose E-Mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (LODR) Regulations, 2015, General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) on the matter.

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44(1) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has provided its Members the facility to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice.

NOTICE is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the SEBI (LODR), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from **19th September 2025 (Friday) to 25th September 2025 (Thursday)** (both days inclusive) for the purpose of the 37th AGM of the Company and for determining the entitlement of Final Dividend declared for the year ended 31st March 2025.

The Board has recommended a Final Dividend @ ₹0.31/- per share at its 323rd Meeting held on 29th May 2025. The dividend, if declared, at the Annual General Meeting will be paid to those Members, whose names appear on the Register of Members of the Company at the closure of business hours of **18th September 2025.**

The details as required under the aforesaid provisions are given hereunder.

i. Date and time of Commencement of Remote E-voting: **22nd September 2025 at 09:00 A.M.**

ii. The Remote E-voting shall end on **24th September 2025 at 05.00 P.M.**

iii. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **18th September 2025** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

iv. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of notice of the AGM should follow the same procedure for e-Voting as mentioned in the Notice of the Company.

v. Voting through Remote E-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on **24th September 2025. The E-Voting Module shall be disabled by CDSL**, for voting thereafter.

vi. The Notice of 37th AGM and Annual Report is available on the Company's website **www.sjvn.nic.in** and on CDSL's E-Voting website **www.evotingindia.com.**

vii. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM mode, but shall not be entitled to vote again. Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

viii. Members who have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the notice or by submit Form ISR-1 to Alankit Assignments Limited, Company's RTA, at **rameshk1@alankit.com** or to the Company at **investor.relations@sjvn.nic.in** along with the documents mentioned in the Form ISR-1. A copy of the form ISR – 1 can be downloaded from the website of the Company.

ix. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 37th AGM and in case of any queries /grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user Manual for shareholders available at the HELP section of **www.evotingindia.com** or may write to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or at toll free no. 1800 21 09911 or Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013.

x. The Company has appointed Shri Santosh Kumar Pradhan, Practicing Company Secretary (C.P. No. 7647) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting process in a fair and transparent manner.

The results on the resolutions shall be declared within two working days of the conclusion of the AGM. Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the company **www.sjvn.nic.in** and on the website of CDSL E-Voting i.e., **www.evotingindia.com.**

For SJVN Limited
Sd/-
(Soumendra Das)
Company Secretary

Place: Shimla
Date: 3rd September 2025

Registered Office: SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla-171006, Himachal Pradesh, Tel: +91 177-2660075, Fax: +91 177-2660071, Email: investor.relations@sjvn.nic.in, Website: www.sjvn.nic.in

हिमाचल दस्तक (शिमला)
3/09/25

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
नवरत्न सीपीएसई A NAVRATNA CPSE
CIN : L40101HP1988GOI008409

37वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एसजेवीएन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 25 सितंबर 2025 को 15:00 बजे एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित कारोबार को संपन्न करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध करवाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

बैठक में किए जाने वाले कारोबार की रूपरेखा तैयार करने वाली 37वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र और इस मामले पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा संशोधित और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44(1) के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की है।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 42 के साथ पठित, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स कंपनी की 37वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए घोषित अंतिम लाभांश की पात्रता का निर्धारण करने के लिए 19 सितंबर 2025 (शुक्रवार) से 25 सितंबर 2025 (गुरुवार) तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

बोर्ड ने 29 मई 2025 को आयोजित अपनी 323वीं बैठक में ₹0.31/- प्रति शेयर की दर से अंतिम लाभांश की संस्तुति की है। यदि वार्षिक आम बैठक में यह लाभांश घोषित किया जाता है, तो इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम 18 सितंबर 2025 के कारोबारी घंटों के समापन पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में मौजूद होंगे।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है :

i. रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि एवं समय : 22 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे।
ii. रिमोट ई-वोटिंग 24 सितंबर 2025 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।
iii. केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 18 सितंबर 2025 को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर या लाभग्राही ऑनर्स के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ आम बैठक में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा।
iv. कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है, उसे कंपनी के नोटिस में यथा वर्णित ई-वोटिंग के लिए समान प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।
v. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से 24 सितंबर 2025 को सायं 5:00 बजे के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।
vi. 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.sjvn.nic.in और सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
vii. जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
viii. जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करके या कंपनी के आरटीए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को फॉर्म आईएसआर-1, rameshk1@alankit.com पर या कंपनी को investor.relations@sjvn.nic.in पर फॉर्म आईएसआर-1 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ जमा करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। फॉर्म आईएसआर-1 की प्रति कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
ix. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य 37वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स(FAQ) और ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर या श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को लिख सकते हैं।
x. कंपनी ने श्री संतोष कुमार प्रधान, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सी.पी. संख्या 7647) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

संकल्पों के परिणाम एजीएम की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएँगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.sjvn.nic.in और सीडीएसएल ई-वोटिंग की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराए जाएँगे।

कृते एसजेवीएन लिमिटेड
हस्ता/-
(सौमेन्द्र दास)
कंपनी सचिव

स्थान : शिमला
दिनांक : 3 सितंबर, 2025

पंजीकृत कार्यालय : एसजेवीएन कारपोरेट कार्यालय परिसर, शनान, शिमला-171006, हिमाचल प्रदेश, दूरभाष : +91 177-2660075, फैक्स : +91 177-2660071, ईमेल : investor.relations@sjvn.nic.in, वेबसाइट : www.sjvn.nic.in

आपका फैसला (शिमला) – 3/09/25

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
नवरत्न सीपीएसई A NAVRATNA CPSE
CIN : L40101HP1988GOI008409

37वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एसजेवीएन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 25 सितंबर 2025 को 15:00 बजे एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित कारोबार को संपन्न करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध करवाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

बैठक में किए जाने वाले कारोबार की रूपरेखा तैयार करने वाली 37वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र और इस मामले पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा संशोधित और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44(1) के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की है।

यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 42 के साथ पठित, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स कंपनी की 37वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए घोषित अंतिम लाभांश की पात्रता का निर्धारण करने के लिए 19 सितंबर 2025 (शुक्रवार) से 25 सितंबर 2025 (गुरुवार) तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

बोर्ड ने 29 मई 2025 को आयोजित अपनी 323वीं बैठक में ₹0.31/- प्रति शेयर की दर से अंतिम लाभांश की संस्तुति की है। यदि वार्षिक आम बैठक में यह लाभांश घोषित किया जाता है, तो इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम 18 सितंबर 2025 के कारोबारी घंटों के समापन पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में मौजूद होंगे।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है :

i. रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि एवं समय : 22 सितंबर 2025 प्रातः 9:00 बजे।
ii. रिमोट ई-वोटिंग 24 सितंबर 2025 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।
iii. केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 18 सितंबर 2025 को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर या लाभग्राही ऑनर्स के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ आम बैठक में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा।
iv. कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है, उसे कंपनी के नोटिस में यथा वर्णित ई-वोटिंग के लिए समान प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।
v. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से 24 सितंबर 2025 को सायं 5:00 बजे के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।
vi. 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.sjvn.nic.in और सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
vii. जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
viii. जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करके या कंपनी के आरटीए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को फॉर्म आईएसआर-1, rameshk1@alankit.com पर या कंपनी को investor.relations@sjvn.nic.in पर फॉर्म आईएसआर-1 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ जमा करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। फॉर्म आईएसआर-1 की प्रति कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
ix. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य 37वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स(FAQ) और ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर या श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को लिख सकते हैं।
x. कंपनी ने श्री संतोष कुमार प्रधान, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सी.पी. संख्या 7647) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

संकल्पों के परिणाम एजीएम की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएँगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.sjvn.nic.in और सीडीएसएल ई-वोटिंग की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराए जाएँगे।

कृते एसजेवीएन लिमिटेड
हस्ता/-
(सौमेन्द्र दास)
कंपनी सचिव

स्थान : शिमला
दिनांक : 3 सितंबर, 2025

पंजीकृत कार्यालय : एसजेवीएन कारपोरेट कार्यालय परिसर, शनान, शिमला-171006, हिमाचल प्रदेश, दूरभाष : +91 177-2660075, फैक्स : +91 177-2660071, ईमेल : investor.relations@sjvn.nic.in, वेबसाइट : www.sjvn.nic.in